

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

क्रमांक एफ2( )एफ0सी0ए0/उवसं/2024/ 6379  
निमित्त,

दिनांक : 26-07-2024

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
कोटा।

विषय:- Construction of Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12. Proposal No.  
FP/RJ/ROAD/29812/2017.

प्रसंग:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक  
एफ.14(PWD)2018/एफसीए/प्रमुपंस/1870 दिनांक 10.07.2024 एवं प्रयोक्ता एजेन्सी  
का पत्र क्रमांक 1084 दिनांक 22.07.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर के प्रासांगिक पत्र में उल्लेखित विन्दुओं की विन्दुवार टीप्पणी निम्न प्रकार है।

Sr.	Query	Reply
1	यूजर एजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि दो पेचज में उपलब्ध करायी गयी है। विभागीय वेब पोर्टल पर उपलब्ध डिजीटल सीमाओं में एक पेच (5.32 हे0) पूर्णतया एवं दूसरो पेच आधिक रूप से वनसीमा के अंतर्गत आता है। उप वन संरक्षक इसका परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि ग्राम चांदा के तालाब के खसरा संख्या 355/241 में से 27 हे0 एवं 357/243 में से 5.32 हे0 जिला कलक्टर बून्दी द्वारा आरक्षित करवाई गई है। गैर वन भूमि को आरक्षित करने से पूर्व विभागीय रिकार्ड से परिक्षण कर लिया गया है। आरक्षित गैर वन भूमि के उक्त खसरा नं0 पूर्व से नोटिफाइड वन भूमि नहीं है।
2	उप वन संरक्षक, बून्दी द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि की उपयुक्तता प्रमाण पत्र में गैर वन भूमि वृक्षारोपण योग्य नहीं पायी गयी है अर्थात यूजर एजेन्सी को दूसरी भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्दिष्ट किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित गैर वन भूमि पर 100 पौधे ही लगाया जाना संभव है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आरक्षित करवाई गई गैर वन भूमि में 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर न लगाने के कारण उनके द्वारा शेष पौधे अन्य वन भूमि में लगाये जाने की राशि जमा करने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न करने के उपरांत कार्यालय द्वारा प्राप्त गैर वन भूमि में 1000 पौधे प्रति हे0 न लगाने के कारण गैर वन भूमि पर 200 पौधे प्रति हे0 एवं शेष पौधे 25856 (60 हे0) वन भूमि पर रोपित करने की सी0ए0 स्कीम संलग्न है।
3	उप वन संरक्षक, बून्दी द्वारा एक ही क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की गयी है जबकि गैर वन भूमि दो पेचज में है। इसके अलावा दिनांक 08.07.2024 से राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की दरों में संशोधन कर दिया गया है। तदनुसार क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना दिया जाना प्रस्तावित है।	क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना गैर वन भूमि दो पेचज में बनाकर अपलोड कर दी गई है एवं दिनांक 08.07.2024 के परिपत्र अनुसार सी0ए0 स्कीम संशोधित कर दी गई है।

भवदीय

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णिया)  
उप वन संरक्षक  
बून्दी

क्रमांक एफ2( )एफ0सी0ए0/उवसं/2024/ 6380

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रतिलिपि अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर

9292477



दिनांक : 26-07-2024  
Signature valid

Digitally signed by Virendra Singh  
Krishnia (वीरेन्द्र सिंह कृष्णिया)  
Designation: Deputy Conservator Of  
Forest उप वन संरक्षक  
Date: 2024.07.26 11:06:09 IST  
Reason: Approved